

प्रस्ताव की पंजीयन संख्या एवं

(वृत्त कार्यालय द्वारा पूरत की जावे)

प्रपत्र 'ए' - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के पूर्व अनुमोदन लेने हेतु

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण																																																																																																					
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण (अ) आवेदित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना का पूर्ण विवरण दिया जावे। यथा सड़क, नहर एवं लाईनों के प्रकरण में कक्ष वार लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर गणना की जावे। सिंचाई तालाब / बांध के प्रकरणों में संरचनावार यथा बांध, वेस्ट वियर, खदान, भवन, पहुँच मार्ग, डूब क्षेत्र, नहर इत्यादि के लिये कक्षवार आवश्यक वन भूमि का विवरण दिया जावे। साथ ही सिंचाई परियोजना के विवरण में कुल जलग्रहण क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र, कुल जलाशय स्तर, उच्च बाढ़ स्तर, न्यूनतम जलाशय क्षेत्र, डूब क्षेत्र एवं जलग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित वन, राजस्व एवं निजी भूमियों का विवरण तथा पूर्ण जलाशय स्तर, उस से 2 मीटर एवं 4 मीटर नीचे के स्तरों में डूब क्षेत्रों में	(i)																																																																																																				
	म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा (कटनी-शहडोल-अनूपपुर से म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक एन.एच.-78) मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमें जिला उमरिया के अंतर्गत कि.मी. 37/00 से कि.मी. 132/200 कुल लंबाई 95.2 किमी का भाग वनक्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसमें वन भूमि एवं राजस्व भूमि में कार्य करने के लिये वन भूमि का व्यपवर्तन का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें उमरिया जिले में कुल वन भूमि 30.423 हे. में सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 30.423 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव दिया जा रहा है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:- (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में :-																																																																																																					
	<table><tr><th>अ. नु. क.</th><th>जिले का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>वन परिक्षेत्र का नाम</th><th>वन खण्ड का नाम</th><th>कक्ष कमांक</th><th>लम्बाई</th><th>चौड़ाई</th><th>क्षेत्रफल (वर्गमीटर)</th><th>आवेदित क्षेत्रफल हे. में</th></tr><tr><td>1</td><td>उमरिया</td><td>बा.टा.रि</td><td>धमोखर</td><td>चंदिया</td><td>PF 00058</td><td>220</td><td>45</td><td>9900</td><td>0.990</td></tr><tr><td>2</td><td>उमरिया</td><td>उमरिया</td><td>चंदिया</td><td>बरमबाबा</td><td>योग</td><td>PF 00061</td><td>1280</td><td>4.2</td><td>5376</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>बरमबाबा</td><td>PF 00061</td><td>260</td><td>16</td><td>4160</td><td>0.416</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>बरमबाबा</td><td>PF 00061</td><td>900</td><td>4.2</td><td>3780</td><td>0.378</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>बरमबाबा</td><td>PF 00061</td><td>680</td><td>4.2</td><td>2856</td><td>0.285</td></tr><tr><td>3</td><td>उमरिया</td><td>बा.टा.रि. (बफर जोन)</td><td>धमोखर</td><td>दुब्बार</td><td>योग</td><td>RF 00009</td><td>240</td><td>18</td><td>4320</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>PF 00064</td><td>130</td><td>25</td><td>3250</td></tr><tr><td>4</td><td>उमरिया</td><td>उमरिया</td><td>चंदिया</td><td>बरमानी</td><td>योग</td><td>PF 00064</td><td>45</td><td>25</td><td>1125</td></tr><tr><td>5</td><td>उमरिया</td><td>उमरिया</td><td>चंदिया</td><td>दुब्बार</td><td>योग</td><td>PF 00064</td><td>45</td><td>25</td><td>1125</td></tr></table>	अ. नु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	कक्ष कमांक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में	1	उमरिया	बा.टा.रि	धमोखर	चंदिया	PF 00058	220	45	9900	0.990	2	उमरिया	उमरिया	चंदिया	बरमबाबा	योग	PF 00061	1280	4.2	5376					बरमबाबा	PF 00061	260	16	4160	0.416					बरमबाबा	PF 00061	900	4.2	3780	0.378					बरमबाबा	PF 00061	680	4.2	2856	0.285	3	उमरिया	बा.टा.रि. (बफर जोन)	धमोखर	दुब्बार	योग	RF 00009	240	18	4320						योग	PF 00064	130	25	3250	4	उमरिया	उमरिया	चंदिया	बरमानी	योग	PF 00064	45	25	1125	5	उमरिया	उमरिया	चंदिया	दुब्बार	योग	PF 00064	45	25	1125	
अ. नु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	कक्ष कमांक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में																																																																																													
1	उमरिया	बा.टा.रि	धमोखर	चंदिया	PF 00058	220	45	9900	0.990																																																																																													
2	उमरिया	उमरिया	चंदिया	बरमबाबा	योग	PF 00061	1280	4.2	5376																																																																																													
				बरमबाबा	PF 00061	260	16	4160	0.416																																																																																													
				बरमबाबा	PF 00061	900	4.2	3780	0.378																																																																																													
				बरमबाबा	PF 00061	680	4.2	2856	0.285																																																																																													
3	उमरिया	बा.टा.रि. (बफर जोन)	धमोखर	दुब्बार	योग	RF 00009	240	18	4320																																																																																													
					योग	PF 00064	130	25	3250																																																																																													
4	उमरिया	उमरिया	चंदिया	बरमानी	योग	PF 00064	45	25	1125																																																																																													
5	उमरिया	उमरिया	चंदिया	दुब्बार	योग	PF 00064	45	25	1125																																																																																													

सम्मिलित वन										
भूमि का विवरण दिया जावे तथा कैचमेंट उपचार योजना संलग्न की जावे।										
6	उमरिया	उमरिया	चंदिया	लगवारी	दुब्बार	PF 00064	80	25	2000	0.200
					दुब्बार	PF 00064	320	4.2	1344	0.134
										0.771
										0.660
										0.176
										0.108
										0.944
										0.168
										0.168
										0.168
										0.045
										0.045
7	उमरिया	उमरिया	चंदिया	लोढ़ा		PF 00720	50	9	450	0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
										0.045
8	उमरिया	उमरिया (म.प्र. वन वि. नि. उमरिया)	उमरिया	उमरिया कैम्प		RF 00210	275	45	12375	1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
										1.238
9	उमरिया	उमरिया (म.प्र. वन वि. नि. उमरिया)	उमरिया	उमरिया कैम्प		RF 00211	300	45	13500	1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
										1.350
10	उमरिया	उमरिया	उमरिया	खलेसर		PF 00729	40	4.2	168	0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
										0.017
11	उमरिया	उमरिया	उमरिया	बांधा		RF 00679	1320	4.2	5544	0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
										0.554
12	उमरिया	उमरिया	पाली	धोरई		RF 00577	120	22.50	2700	0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270
										0.270

[illegible]

[illegible]

					योग					0.733
22	उमरिया	उमरिया	घुनघुटी	सोगाहपुर	RF 00215	180	4.2	756	0.075	
			घुनघुटी	सोगाहपुर	RF 00215	235	20	4700	0.470	
			घुनघुटी	सोगाहपुर	RF 00215	770	4.2	3234	0.323	
					योग					0.868
23	उमरिया	उमरिया	घुनघुटी	सोगाहपुर	RF 00216	750	4.2	3150	0.315	
					योग					0.315
15	उमरिया	उमरिया	घुनघुटी	अम्बिका	RF 0331	90	45	4050	0.405	
					योग					0.405
कुल योग									23.287	

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में:-

अनु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में	
1	उमरिया	उमरिया	बांधवगाढ	करके ली	2/1,2	125	30	3750	0.375	
					59/8 & 59/9/k/1	165	30	4950	0.495	
					योग				0.870	
2	उमरिया	उमरिया	बांधवगाढ	बरही	594/1	30	30	900	0.090	
						योग				0.090
3	उमरिया	उमरिया	पाली	गिजरी	16	35.5	40	1420	0.142	
					17	54.5	40	2180	0.218	
					18	20	40	800	0.080	
					20	50	40	2000	0.200	
					23	41	40	1640	0.164	

[illegible]

				168	50	25	1250	0.125
				215	30	25	750	0.075
				247	50	25	1250	0.125
				249	10	21	210	0.021
				योग				
कुल योग								0.371
								7.136

(स) अन्य भूमि में:-

(i) शासकीय गैर वन भूमि

19.630

(ii) निजी भूमि

92.337

आवेदित वनभूमि 30.423 हे के विरुद्ध जिला आगर मालवा तहसील आगर, बड़ौद एवं बड़ौद के ग्राम मालीखेडी, रापडी, टोकड़ा, टोकड़ा एवं टोकड़ा के अंतर्गत 52.683 हे. समतुल्य गैर वन भूमि सर्वे क्रमांक 527, 818/1/1, 182/7, 186 एवं 229 में उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 33/अ-19(3)/2007-08 दिनांक 14 जुलाई 2015 को पारित आदेश में भूमि आवंटित करा दी गई है। प्रति मय मानचित्र के संलग्न है।

आवेदक विभाग, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, जो भी राशि तय होगी उसे भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी द्वारा जो भी शर्तें एवं मुआवजा आदि निर्धारित की जावेगी, आवेदक विभाग उसे मान्य करने हेतु वचनबद्ध होगा।

आवेदित क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण/ निरीक्षण दिनांक को वन अधिकारियों के साथ किया गया था तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(ii) गांछित मानचित्र/ वन मानचित्र संलग्न है।

(ii)	1:50000 स्केल मैप पर आवेदित वन भूमि दर्शाने वाला वन मानचित्र। बड़े प्रकरणों तथा ऐसे स्पष्टतः प्रकरणों में जो एक से अधिक 1:50000 स्केल के मानचित्रों में आते हों, में 1:250000 स्केल का सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक भी संलग्न किया जावे। आवेदित वन क्षेत्र का 1:15000 स्केल पर संनिधि मानचित्र (स्टॉक मैप) एवं पीडीए अथवा मोबाइल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट कॉपी) (5 हेक्टेयर से	
------	---	--

	कम क्षेत्र के प्रकरणों में क्षेत्र का 1:3960 स्केल मानचित्रा 16 इंच = 1 मील भी संलग्न किया जावे)		
(iii)	परियोजना की लागत	(iii)	परियोजना पर 511.83 करोड़ रुपये की लागत आयेगी एवं इसकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष के आदेश क्रमांक RW/NH-37015/51/2014/NHDP IVA दिनांक 04 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
			परियोजना संबंधी विस्तृत विवरण मय औचित्य के संलग्न है।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य (वन क्षेत्र की आवश्यकता का औचित्य स्थापित किया जावे। परियोजना गैर वन क्षेत्र में अन्यत्र क्यों स्थापित नहीं की जा सकती? परियोजना के स्थल विशिष्ट 'पजम' 'चमबपविब' होने बाबत तथ्य दिये जावें। सिंचाई परियोजनाओं के प्रकरण में सिंचाई क्षमता एवं उससे लाभान्वित परिवार/ग्राम का विवरण दिया जावे। उत्पादन में वृद्धि का आकलन दिया जावे)	(iv)	
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (भारत सरकार के गाइड लाईन्स, 2004 के बिन्दु क्र. 2. 6 के अनुसार संलग्न किया जावे)	(v)	आवश्यक नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। (किन ग्रामों में कितने व्यक्तियों को)	(vi)	सड़क मार्ग के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा एवं सड़क निर्माण पश्चात् रोजगार स्वतः बढ़ जायेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण (ले-आउट प्लान संलग्न करें)		विद्यमान राज्यमार्ग का 2-लेन पेक्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु। (ले-आउट प्लान संलग्न है)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है?		
(i)	परिवारों की संख्या	(i)	आवश्यक नहीं है।
(ii)	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की संख्या	(ii)	आवश्यक नहीं है।
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किया जावे)	(iii)	आवश्यक नहीं है।

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?	आवश्यक नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	वांछित वचन पत्र संलग्न है।
6	संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- वन(संरक्षण)अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों में अभिलेखों की आवश्यक चेक लिस्ट।

तिथि :

स्थान: शहडोल।

हस्ताक्षर *Arundhati*
नाम
पदनाम- परियोजना प्रबंधक
पता : म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड
शहडोल